न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 862 / 2020
अनवान : –

1. प्रवीना पुत्री सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. युवराज पुत्र सुभाष उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये बली माता खुद सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादीगण

बनाम्

1. चान्दीराम पुत्र तखुराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र चान्दीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री चान्दीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 02/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 52/50 की कुल 3.9220 हक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा भूमि व चक 3 आरएमजी के खाता स0 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन के खाता स0 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो वह दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिववादी स0 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनिमय 1956 की धारा 14 में यह स्पष्ट लिखा है कि हिन्दु नारी का पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है तथा न ही दावा पेश कर सकते है। साक्ष्य में वादीया प्रवीना के बयान लेखबद्ध किये गये। वादीया ने वाद के समर्थन मे पर्चा खतौनी रामगढ़ सम्वत 2029 ता 38 ईएक्सपी–1, पर्चा खतौनी चक 18 डीपीएन सम्वत 2029 ता 38 ईएक्सपी–2, जमाबंदी 18 डीपीएन सम्वत 2073–76 खाता स0 52/50 ईएक्सपी–3, जमाबंदी 3 आरएमजी सम्वत 2073–76 खाता स0 43/41 ईएक्सपी–4, जमाबंदी 16 डीपीएन सम्वत 2072–75 खाता स0 80/68 ईएक्सपी–5 प्रदर्शित करवाये । साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि के वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रतिववादी स0 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनिमय 1956 की धारा 14 में यह स्पष्ट लिखा है कि हिन्दु नारी का पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है तथा न ही दावा पेश कर सकते है। अत वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 52/50 की कुल 3[illegible] हिस्सा भूमि व चक 3 आरएमजी के खाता स0 43/41 [illegible] हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन के खाता स0 80/68 [illegible] कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है अर्थात उक्त भूमि पुराने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम रही है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का भी प्रतिवादीगण स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि के रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 52/50 की कुल 3.9220 हक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा भूमि व चक 3 आरएमजी के खाता स0 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन के खाता स0 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul,

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 862/2020

अनवान : –

1. प्रवीना पुत्री सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. युवराज पुत्र सुभाष उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये बली माता खुद सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादीगण

बनाम्

1. चान्दीराम पुत्र तखुराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र चान्दीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री चान्दीराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 862 सन 2020 निर्णय दिनांक 02/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री राजपाल झोरड़ एव वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 52/50 की कुल 3.9220 हक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा भूमि व चक 3 आरएमजी के खाता स0 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन के खाता स0 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर